

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग/स्थाईकरण-ई.फा.49/जो.जयपुर /2023/209 दिनांक:- 3/3/2023

आदेश

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1965 के नियम 31 एवं 31 ए में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद पाये पर राज्य सेवा में नियुक्ति तिथि से स्थाई किया जाता है -

क्र.स.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि
1.	मरियाम्मा पी	अलवर	10.06.1962	17.02.1987
2.	मिनी थोमस	जयपुर	10.05.1970	19.11.1994
3.	कमला कुमारी	जयपुर	01.01.1967	27.04.1988
4.	मधुबाला	अलवर	04.01.1963	21.09.1984

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/स्थाईकरण-ई.फा.49/जो.जयपुर /2023/209 दिनांक:- 3/3/2023
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर ।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर/अलवर ।
3. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी ।
4. डी.पी.सी (अराजपत्रित) अनुभाग मुख्यालय ।
5. संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी ।
6. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
7. आदेश/निजी पत्रावली ।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर